राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 4/12 से 3/15

भाग–एक

1 **गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–**

(i) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों मे समाविष्ट पैरों के सटिप्पण उत्तरों की समीक्षा उपरान्त शेष पैरों की स्थिति निम्न प्रकार से हैः–

अंकेक्षण अवधि 4/08 से 3/12

पैरा–5 (iii)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)
पैरा–6	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)
पैरा–7	अनिर्णीत	
पैरा–8 (i) (ii) (iii) तथा (iv)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)
पैरा–9 (i) तथा (ii)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही कर ली गई है)
पैरा–10 (i) तथा (ii)	निर्णीत	(सन्तोषजनक उत्तर एवं अपेक्षित कार्यवाही उपरान्त)

भाग–2

2 **वर्तमान अंकेक्षणः–**

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोलन, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के छात्र निधियों अवधि 4/12 से 3/15 तक का अंकेक्षण एवं निरीक्षण श्री पुनीश सागर, अनुभाग अधिकारी द्वारा किया गया। निम्न वर्णित अभिलेखों के अतिरिक्त समस्त अभिलेख अंकेक्षण में दर्शाए गए। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 7/12, 7/13 तथा 7/14 एवं व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह 9/12, 9/13 तथा 9/14 के लेखाओं का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया यहाँ पर यह स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण संस्थान द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं सूचनाओं के आधार पर किया गया। किसी प्रकार की अधूरी/अपूर्ण सूचना के लिए स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 का कोई दायित्व नहीं होगा क्योंकि लेखाओं का परीक्षण चयनित मासों तक ही

सीमित रखा गया। अंकेक्षण अवधि के दौरान आहरण वितरण अधिकारी के पद पर ई0 शिवेन्दर डोगरा कार्यरत्त रहे।

3 **अंकेक्षण शुल्कः—**

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोलन के लेखाओं अवधि 04/12 से 03/15 के अंकेक्षण करने का शुल्क ₹7000/— आँका गया है। अनुभाग अधिकारी के पत्र संख्या 39 दिनाँक 11.6.15 द्वारा प्रधानाचार्य महोदय से इस राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग शिमला को शीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया था। संस्थान द्वारा जोगिन्द्र सैन्ट्रल कोप्रेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन के ड्राफ्ट संख्या 080923 दिनाँक 25.06.15 के माध्यम से अंकेक्षण शुल्क की राशि को आगामी कार्रवाई हेतु लेखा परीक्षा विभाग, शिमला—171009 को प्रेषित किया गया।

4 **वित्तीय स्थितिः—**

संस्थान के लेखों अवधि 04/2012 से 03/2015 तक की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार थी जिसका सम्पूर्ण विवरण **परिशिष्ट "क** संलग्न है।

वर्ष	**आरम्भिक शेष**	**आय**	**कुल योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2012—13	1215042	3134069.80	4349111.80	2556365	1792746.80
2013—14	1792746.80	2261066	4053812.80	1682561	2371251.80
2014—15	2371251.80	2468875	4840126.80	1428901	3411225.80
दिनाँक 31.3.15 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष				———	3411225.80
दिनाँक 31.3.15 को रोकड़ बही के अनुसार शेष				718442.80	
दिनाँक 31.3.15 को हस्तगत रोकड़ शेष				830	
दिनाँक 31.3.15 को सावधि खातों में जमा राशि				2691953	
दिनाँक 31.3.15 को रोकड़ बही हस्तगत तथा सावधि जमा खातों के अनुसार शेष (2+3+4)				———	3411225.80
दिनाँक 31.3.15 को वित्तीय स्थिति के अनुसार शेष एवं रोकड़ बही बैंक (बचत खाते) तथा सावधि जमा के शेष में अन्तर (1—5)					शून्य

5 **बैंक समाधान विवरणः—**

संस्थान द्वारा दिनाँक 31.3.15 को उपलब्ध करवाई गई बैंक समाधान विवरणी **परिशिष्ट "क"** है।

6 निवेशः–

संस्था द्वारा दिनाँक 31.3.15 तक किये गये निवेशों का विवरण **परिशिष्ट "ख"** में दिया गया है।

6.1 निवेशों पर ₹1530 कम ब्याज की प्राप्तिः–

निवेशों से प्राप्त ब्याज की पड़ताल के दौरान पाया गया कि समय पर निवेशों का नवीनीकरण न करवाने के कारण निम्नानुसार राशि ₹1530/– की संस्थान निधि को ब्याज के रूप में हानि हुईः–

बैंक का नाम/ सावधि खाता सं0	निवेश की गई राशि तथा निवेश करने की तिथि	परिपक्व राशि/ परिपक्वता की तिथि	जिस तिथि को परिपक्व राशि पुनः निवेश की जानी अपेक्षित थी	जिस तिथि को परिपक्व राशि पुनः निवेश की गई/निवेश की गई राशि/FDR रजिस्टर की पृष्ठ संख्या	जितने दिनों के पश्चात निवेश किया गया	बैंक द्वारा 13 दिनों का दिया गया साधारण ब्याज	यदि स्तम्भ (1) में दर्शाई गई राशियों को दिनाँक 18.10.14 को ही पुनः निवेश किया जाता तो 1.11.14 तक 9% दर से 13 दिनों का जो ब्याज प्राप्त होता (लगभग) (3)	जितना ब्याज कम प्राप्त हुआ (लगभग) (2–3)
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सोलन/ 904041	819378/ 18.10.13	895648/ 18.10.14	18.10.14	01.11.14/897120 (13 दिन के साधारण ब्याज सहित) (895648+1472 साधारण ब्याज)/7	13 दिन बाद (18.10.14 से 1.11.14 तक)	1472	2870	1398
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सोलन/904040	77235/ 18.10.13	84424/ 18.10.14	18.10.14	01.11.14/89563 (13 दिन के साधारण ब्याज सहित) (84424+139 साधारण ब्याज)/7	13 दिन बाद (18.10.14 से 1.11.14 तक)	139	271	132
								1530

इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा राशि ₹1530/– की वसूली करके तथा सम्बन्धित खाते में जमा करवा के अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7 रोकड़ बही का रख रखावः–

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही में ओवर–राईटिंग्र तथा कटिंग्स माह 09/13 (पृष्ठ संख्या 132 तथा 133) की गई थी तथा इन कटिंगस/ओवर राईटिगस को सक्षम अधिकारी से सत्यापित नहीं करवाया गया था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित प्रविष्टियों को DDO से सत्यापित करवाके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 बैंक खातों के रख रखाव के बारे मेंः–

संस्थान ने दिनाँक 31.3.2015 को जोगिन्द्रा सैन्ट्रल कोपरेटिव बैंक, सोलन (हिमाचल प्रदेश) में बचत तथा सावधि जमा से सम्बन्धित कुल 9 खाते खुलवा रखे थे। यह सुझाव दिया जाता है कि सरप्लस फंडस का निवेश करते समय हिमाचल प्रदेश सरकार की पत्र संख्या फिन आई0एफ (ए) 1–68/91–5 फाईनेस डिपार्टमेन्ट (आई0एफ0) दिनाँक शिमला–171002 17.4.14 में दिए गए निर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 रसीदों के प्रयोग में हो रही अनियमितताओं बारेः–

विभिन्न निधियों से प्राप्त आय की पड़ताल के दौरान रसीदों के प्रयोग में निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

(i) अंकेक्षण के दौरान बार–2 लिखित एवं मौखिक रूप से आग्रह करने के पश्चात भी रसीद बुक्स से सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टर पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान रसीद बुक्स के क्रय व जारी /इस्तेमाल किये जाने बारे तथा इनके आरम्भिक एवं अन्तिम शेषों की पड़ताल नहीं की जा सकी। अतः सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) निम्नलिखित रसीदों को काटने के उपरान्त उन्हें रद्द किया गया दर्शाया गया था परन्तु इन्हें प्रधानाचार्य से सत्यापित नहीं करवाया गया। इन रसीदों को अंकेक्षण के दौरान प्रधानाचार्य महोदय से सत्यापित करवाया गया था। अतः भविष्य में रसीदों पर कटिंगस/ओवर राईटिंगस का एवं उनके रद्द किये जाने सम्बन्धी सत्यापन प्रधानाचार्य महोदय से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**माह**	**छात्र/छात्रा का नाम**	**रसीद संख्या तथा दिनाँक**	**राशि**	**निधि संब्रह रजिस्टर पृ0सं0**
1	07/12	कुमारी कुसुम लता	17066/12.7.12	3910	83

2	07/12	श्री हेमन्त	17095/12.7.12	6310	73
3	07/13	श्री रवि वर्मा	17592/11.7.13	3610	107
4	07/13	श्री मैहर चन्द	17594/11.7.13	8000	107
			कुल योग	**21830**	

(iii) अंकेक्षण के दौरान जाँच में यह भी पाया गया कि संस्थान द्वारा रसीद बुकों का प्रयोग क्रमवार नहीं किया गया था। इस अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न प्रकार से है। अतः भविष्य में रसीदों का प्रयोग क्रमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह	**निधि संग्रह रजिस्टर की पृष्ठ संख्या**	**जिस क्रम में रसीदों की प्रविष्टियाँ की गई पाई गई**
08/12	88	क्रम संख्या 17101 से 17200 के पश्चात क्रम संख्या 17301 से आगे इस्तेमाल की गई थी।
07/14	134	क्रम संख्या 18201 से 18300 के पश्चात क्रम संख्या 19301 से आगे इस्तेमाल की गई थी।

10 <u>प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क आदि से प्राप्त राशियों को सरकारी कोष में विलम्ब से जमा व राशि का राजकीय कोष से मिलान न करनाः–</u>

अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रवेश शुल्क, शैक्षणिक शुल्क आदि से सम्बन्धित राशियो ंकी सरकारी कोष में जमा की पड़ताल के दौरान पाया गया कि यह शुल्क सरकारी कोष में निम्न विवरणानुसार विलम्ब से जमा करवाए गये तथा इन राशियों का कोष में प्राप्ति से मिलान नहीं किया गया था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में शुल्कों से प्राप्त राशियों को सरकारी कोष में नियमानुसार समय पर जमा किया जाना तथा जमा राशि का कोष से मिलान करना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	**रोकड़ बही (सरकारी)**	**जिस अवधि से सम्बन्धित प्रवेश**	**अवधि के दौरान प्राप्त शुल्क**	**जिस तिथि को जमा**	**चालान संख्या**

	पृष्ठ संख्या	शुल्क एवं टयूशन की जमा की गई		करवाई गई	
1	133	6.7.12 से 23.8.12 तक	344700 (15100 (प्रवेश शुल्क)+299600(टयूशन फी)+30000(होस्टल रेंट)	7.9.12	12
2	05	9.7.13 से 5.9.13	349800 (25800+प्रवेश शुल्क)+285600(टयूशन फी)+38400(होस्टल रेंट)	9.9.13	2
3	62	11.7.14 से 23.8.14	224900 (5900+प्रवेश शुल्क)+169800(टयूशन फी)+49200(होस्टल रेंट)	3.9.14	37

11 ₹10/– अनुपस्थिति दण्ड की कम वसूली करना:–

आय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि रसीद संख्या 17522 दिनाँक 10.7.13 के अन्तर्गत अनुपस्थिति दण्ड राशि ₹920/– के स्थान पर ₹910 की वसूली की गई थी। अंकेक्षण द्वारा संस्थान के ध्यान में यह अनियमितता लाये जाने पर संस्थान ने ₹10/– की वसूली करके (रसीद संख्या 18902 दिनाँक 11.6.2015 द्वारा, प्रविष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 200 पर) अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया था।

12 रोकड़ बही के रख रखाव हेतु ₹400/– का अधिक भुगतान करना:–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि श्री औंकार पंवर (वरिष्ठ सहायक) को दिनाँक 1.8.12 से 31.8.13 तक ₹200/– प्रतिमाह की दर से रोकड़ बही के रख रखाव हेतु ₹2800/– का पारिश्रमिक के रूप में भुगतान किया गया था। अभिलेखानुसार उन्हें 1.7.11 से 31.8.12 तक का भुगतान रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 98 द्वारा राशि ₹2800/– के लिए पहले ही किया जा चुका था फलस्वरूप उन्हें केवल 1.9.12 से 31.8.13 तक केवल 12 माह का ₹2400/–(12 माह x200) का भुगतान किया जाना ही अपेक्षित था। अंकेक्षण द्वारा संस्थान के ध्यान में यह अनियमितता लाये जाने पर संस्थान ने ₹400/– की वसूली करके (रसीद संख्या 18902 दिनाँक 11.6.15 द्वारा, प्रविष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 200 पर) अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया था।

13 ₹26/– का अधिक भुगतान करनाः–

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि जलपान के बिलों हेतु श्री राकेश कुमार को दिनाँक 9.9.14 को ₹2804/– का भुगतान किया गया था जबकि बिलों की वास्तविक भुगतान राशि ₹2778/– बनती थी। इस प्रकार ₹26/– का अधिक भुगतान किया गया था। अंकेक्षण द्वारा संस्थान के ध्यान में यह अनियमितता लाये जाने पर संस्थान ने ₹26/– की वसूली करके (रसीद संख्या 18921 दिनाँक 22.6.15 द्वारा प्रविष्टि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 201 पर) अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया था।

14 ₹9983/– के जलपान एवं भोजन से सम्बन्धित किये गए भुगतान बारेः–

हिमाचल प्रदेश सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग, व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण द्वारा जारी अधिसूचना संख्या ई0डी0एन0–टी0ई)–ए(3) –2/2004 दिनाँक 8.7.10 में छात्र कल्याण निधि में से संस्थान में कैम्पस साक्षात्कार के लिए बाहर से आने वाले उद्योगों के प्रतिनिधियों के लिए जलपान एवं भोजन आदि पर व्यय का प्रावधान है। इन भुगतानों से सम्बन्धित वाउचरों की पड़ताल के दौरान पाया गया कि संस्थान द्वारा निम्नलिखित तालिका में दर्शाए गए व्यक्तियों की संख्या के अनुसार जलपान एवं भोजन हेतु भुगतान किया था। निम्न तालिका में दर्शाए गए कुल व्यक्ति जिन्हें जलपान एवं भोजन करवाया गया था उनमें से कितने व्यक्ति विभिन्न उद्योगों के प्रतिनिधि थे इस बारे में न तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा वाउचर्स पर सत्यापन किया गया था तथा न ही इससे सम्बन्धित कोई अभिलेख अंकेक्षण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह भी पाया गया कि जलपान एवं भोजन से सम्बन्धित इन बिलों के पिछले पृष्ठ पर यह भोजन उद्योगों के प्रतिनिधियों को न करवाया गया दर्शाकर स्टाफ को करवाए जाने बारे प्रमाण पत्र दिया गया था जबकि नियमों में केवल उद्योगों के प्रतिनिधियों को ही जलपान एवं भोजन करवाए जाने का प्रावधान है। अतः नियमों के विपरीत जलपान व भोजन पर किए गए व्यय को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा राशि की वसूली करने के उपरान्त निधि में जमा करवाना सुनिश्चित करें।

रोकड़ बही पृ0सं0	दिनाँक	विवरण	बिल संख्या/दिनाँक	जितने व्यक्तियों को दोपहर का खाना खिलाया	राशि

				गया	
173	11.9.14	मॉडर्न ढाबा, न्यू बस स्टैण्ड सोलन	4.2.14	8	395
			22.2.14	8	618
			26.2.14	8	600
			11.4.13	18	1820
			12.4.14	10	806
			23.4.14	11	1425
			26.4.14	8	1515
				योग	**7179**
172	9.9.14	मैसर्ज राकेश कुमार, आई0टी0आई कैन्टीन	477 / 11.4.14	18	484
			478 / 23.4.14	11	176
			479 / 26.4.14	8	174
			480 / 2.7.14	10	174
			481 / 3.7.14	6	192
			482 / 4.7.14	11	320
			483 / 7.7.14	7	158
			484 / 8.7.14	11	218
			486 / 10.7.14	16	544
			487 / 18.7.14	5	180
			488 / 31.7.14	9	184
				योग	**2804**
			कुल योग (1+2)		**9983 (7179+2804)**

15 <u>भुगतान के विरूद्ध पावतियाँ प्रस्तुत न करनाः–</u>

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्न भुगतानों के विरूद्ध वास्तविक प्राप्ति रसीदें अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं की गई थी जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा सम्बन्धित रसीदें अब प्राप्त करके उन्हें आहरण एवं वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाके आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**राशि (₹)**	**विवरण**
09/12	98	6310	निजी आई0टी0आई0 बढ़ोग को किया गया भुगतान
09/14	172	31700	छात्र/छात्राओं के बीमे का भुगतान
09/12	98	26400	धर्मशाला बोर्ड को छात्र एवं छात्राओं की रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान

16 छात्रावास के बिजली एवं पानी से सम्बन्धित बिलों का भुगतान बिजली एवं पानी Charges के रूप वसूली गई राशि में से न करनाः—

व्यय की पड़ताल के दौरान पाया गया कि संस्थान निर्देशानुसार छात्रावास में रहने वाले छात्रों से ₹500/— प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से बिजली तथा पानी की खपत के Charges के रूप में वसूली करता है ताकि छात्रवास से सम्बन्धित बिजली एवं पानी का भुगतान किया जा सके। दिनाँक 31.3.15 को बिजली तथा पानी Charges शीर्ष के अन्तर्गत **(परिशिष्ट "घ")** के अनुसार राशि ₹389781/— शेष थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान इसमें से न के बराबर व्यय किया गया जिसे यह स्पष्ट होता है कि छात्रावास से सम्बन्धित बिजली एवं पानी के बिलों का व्यय इस शीर्ष में से नहीं किया गया था। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

17 वस्तुओं के क्रय के लिए पूर्ण प्रक्रिया न अपनाई जाने बारेः—

निम्नलिखित प्रकरणों में क्रय किये जाने से सम्बन्धित विहित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी। निम्नलिखित प्रकरणों में संस्थान द्वारा अवतरने (Quotations) प्राप्त तो की गई थी परन्तु

इन पर संस्थान मे ंपहुँचने की तिथि तथा Diary No. अंकित किया गया नहीं पाया गया। इससे यह प्रतीत होता है कि इन्हें Diary register में diary ही नहीं किया गया था। Diary register में diary न किये जाने के कारण ये अवतरनें वास्तव में ही क्रय से पूर्व संस्थान में पहुँच गई थी या नहीं इस तथ्य की पुष्टि नहीं की जा सकी। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में इस अनियमितता की पुनरावृति न हो ये भी सुनिश्चित किया जाए।

माह	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**बिल/वा0 की राशि**	**फर्म का नाम**	**क्रय की गई वस्तुओं का विवरण**	**टिप्पणी**
09/12	97	26885	मैसर्ज गणपति डिपार्टमेंटल स्टोर, सोलन	गर्ल्स होस्टल की मेस से सम्बन्धित विभिन्न वस्तुऐं	अवतरणों को डायरी नहीं किया गया था।
09/14	171	14000	मैसर्ज जोहरी लाल बंसी धर।	Water Purifier	अवतरणों को डायरी नहीं किया गया था।

18 **<u>अभिलेख प्रस्तुत न करने बारेः–</u>**

अंकेक्षण के दौरान मौखिक रूप में आग्रह करने पर भी निम्नलिखित प्रकरणों से सम्बन्धित अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा आगामी अंकेक्षण पर सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

चयनित माह	**रोकड़ बही पृ0सं0**	**राशि**	**क्रय की गई वस्तुओं का विवरण**	**विक्रेता/बिल संख्या व दिनाँक**	**टिप्पणी**
09/12	96	75138	फर्नीचर की वस्तुएं	मैसर्ज हिमाचल फर्नीचर सोलन	क्रय से सम्बन्धित Codal formalities नहीं दिखाई

					गई।
09/13	135	2500	AIDS Awarness हेतु CMO Solan द्वारा जारी की गई राशि।	–––	यह राशि AIDS awareness activities पर व्यय करने हेतु संस्थान के एक कर्मचारी के नाम जारी की गई थी परन्तु इसके उपयोग से सम्बन्धित वाउचर/बिल न तो वाउचर के साथ संलग्न पाए गये तथा न ही पड़ताल हेतु प्रस्तुत किये गए।

19 स्टोर/स्टॉक बारेः–

अंकेक्षण के दौरान स्टोर/स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख के रख रखाव में निम्नलिखित अनियमितताऐं पाई गईः–

(i) सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक कंटीजेंट रजिस्टर्स मे ंप्रविष्टियाँ न दर्शाए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान कई बार मौखिक रूप से आग्रह करने के बावजूद निम्नलिखित क्रय की गई वस्तुओं की प्रविष्टियाँ सम्बन्धित स्टोर/स्टॉक/कंटीजेंट रजिस्टर्स में नहीं दर्शाई। इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 आगामी अंकेक्षण पर सम्बन्धित रजिस्टर्स में इन वस्तुओं की प्रविष्टियाँ दर्शाए जाना सुनिश्चित किया जाए।

माह	रोकड़ बही पृ0सं0	बिल/वाउचर की राशि	विक्रेता का नाम	क्रय की गई वस्तुओं का नाम
09/12	96	1739	मैसर्ज महाजन ट्रेडर्स, सोलन।	विभिन्न स्टेशनरी की वस्तुएं
09/13	135	8901	मैसर्ज जोहरी लाल बंसी धर।	हार्ड वेयर से सम्बन्धित विभिन्न वस्तुऐं
09/14	171	1907 (1750+157)	मैसर्ज वर्टेक्स कम्पयूटर, सोलन।	कम्पयूटर बैटरी आदि
09/14	171	14000	मैसर्ज जोहरी	Water purifier

			लाल बंसी धर।	
09/14	171	726 (428+298)	मैसर्ज राकेश कुमार	जलपान से सम्बन्धित बिल

(ii) स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्शाए गए विभिन्न वस्तुओं के शेषों का सक्षम प्राधिकारी द्वारा सत्यापन न करनाः–

स्टोर/स्टॉक से सम्बन्धित अभिलेख की पड़ताल के दौरान पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में दर्शाए गए विभिन्न वस्तुओं के शेषों का सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था तथा साथ ही स्टॉक की वस्तुऐं जारी करने के पश्चात स्टॉक रजिस्टर में से जारी की गई वस्तओं का शेष शून्य दर्शाया गया था जोकि उचित नहीं है। स्टोर/स्टॉक रजिस्टर्स में की गई प्रविष्टियों का सक्षम अधिकारी द्वारा नियमित रूप से सत्यापन किया जाना अनिवार्य है। साथ ही स्टोर/स्टॉक से सम्बन्धित विभिन्न वस्तुओं के शेष भी स्टोर/स्टॉक रजिस्टर्स में दर्शाए जाने भी अनिवार्य है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट करने के साथ–2 निम्नलिखित प्रकरणों तथा अपने स्त्तर पर इस अनियमितता से सम्बन्धित अन्य प्रकरणों को चिन्हित करके स्टोर/स्टॉक रजिस्टर्स में उनके सही शेष दर्शा कर एवं सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

स्टोर/स्टॉक रजिस्टर	**रजिस्टर की पृ0सं0**	**दिनाँक**	**वस्तु का विवरण**	**वस्तु का शेष**	**टिप्पणी**
SSB-III (वर्ष 2008 से आगे)	4	4.3.08	सोफा सेट	1	प्रविष्टि का सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन नहीं किया गया था
–यथोपरि–	6	–यथोपरि–	ऑफिस कुर्सी	2	–यथोपरि–
–यथोपरि–	8	–यथोपरि–	टेबल गलास	1	–यथोपरि–
–यथोपरि–	9	–यथोपरि–	अलमारी	1	–यथोपरि–
–यथोपरि–	14	–यथोपरि–	डिसपले बोर्ड	1	–यथोपरि–
–यथोपरि–	16	–यथोपरि–	ऑफिस टेबल	1	–यथोपरि–
–यथोपरि–	29	27.7.10	मोडम (ब्रोड बेंड)	1	मोडम जारी करने के पश्चात स्टॉक रजिस्टर में शेष शून्य दर्शाया गया था।

–यथोपरि–	29	8.10.10	मोडम (ब्रोड बेंड)	1	–यथोपरि–

(iii) स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाए जाने बारेः–

अंकेक्षण के दौरान मौखिक रूप से स्टोर/स्टॉक के भौतिक सत्यापन करवाए जाने से सम्बन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया गया था परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक यह अभिलेख पड़ताल हेतु प्रस्तुत नहीं किये गये। हिमाचल प्रदेश सरकार (वित्त विभाग (रेगुलेशन) की अधिसूचना संख्या फिन (सी) ए (3) 5/2005 शिमला–171002 दिनाँक 12.8.09 के नियम 140 तथा 141 में दिए गए निर्देशों के अनुसार नियमित रूप से स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन करवाया जाना अनिवार्य था। इसके अभाव से न तो स्टोर/स्टॉक में उपलब्ध उपयोगी वस्तुओं की वास्तविक स्थिति का बोध होता है तथा न ही विभिन्न अनुपयोगी वस्तुओं का समय पर नियमानुसार निस्तारन (disposal) किया जा सकता है। अतः उपरोक्त अनियमितता के कारण स्पष्ट करने के साथ–2 इस विषय में कृत अपेक्षित कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत कराया जाए तथा भविष्य में स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन नियमानुसार नियमित रूप सें करवाया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

20 विविधः–

(i) अंकेक्षण के दौरान अधियाचना संख्या 28 दिनाँक 1.6.15 तथा मौखिक रूप से कई बार आग्रह करने के बावजूद अंकेक्षण अवधि के दौरान कालातीत होने पर जब्त की जा चुकी छात्रावास (Hostel) तथा संस्थागत (institutional) प्रतिभूतियों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः इस विषय में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा 4/12 से 3/15 तक समस्त कालातीत होने पर जब्त की जा चुकी छात्रावास (Hostel) तथा संस्थागत (institutional) प्रतिभूतियों का विवरण तैयार करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए।

(ii) चर्चा के दौरान अवगत करवाया गया कि संस्थान द्वारा पहचान पत्र व विभिन्न अन्य मुद्रण कार्य हिमाचल प्रदेश राजकीय मुद्रणालय शिमला से न करवाकर सीधे खुले बाजार से करवाया जा रहा था तथा बाजार से मुद्रण कार्य करवाये जाने से पूर्व राजकीय मुद्रणालय से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया जोकि उचित नहीं है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में मुद्रण का कार्य राजकीय मुद्रणालय से करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(iii) हिमाचल प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार सभी विभागों बोर्डो तथा निगम इत्यादि को अपने कार्यालयों की आवश्यकताओं की वस्तुओं का क्रय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित दर संविदाओं (Rate Contracts) पर निर्धारित फर्मों से ही किया जाना अपेक्षित है।

खुले बाजार से क्रय केवल उन्हीं परिस्थितियों में ही किया जा सकता है जब कोई वस्तु दर संविदा पर उपलब्ध न हो परन्तु ऐसे प्रकरणों में भी नियन्त्रक भण्डार क्रय हिमाचल प्रदेश का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अपेक्षित होता है। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि भविष्य में विभिन्न वस्तुओं के क्रय उपरोक्त निर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

22 **निष्कर्षः—** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—

.

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच(2)सी(.15) (xi)(iv) 103/87खण्ड—पार्ट—6417—6418 दिनांक31.10.15, शिमला—09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

(1) निदेशक, तकनीकी शिक्षा व्यवसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0

पंजिकृत :— (2) प्रधानाचार्य, राज़कीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सोलन, ज़िला सोलन को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्यवही करके सटिप्पण उत्तर अतिशीघ्र इस विभाग को भेजें।

हस्ता/—

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.